<u>प्रकरण संख्या 61/2023 पूरणमल बनाम बंशीलाल व अन्य</u>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम घासा, तहसील मावली में आराजी नंबर 3222 रकबा 18 बिस्वा भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से अनुसार दर्ज है, परन्तु मौके पर बंटवारा नहीं कर रखा है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 मौके पर अवैध रूप से आधिपत्य जमाना चाहते हैं तथा मेरे हिस्से की जमीन पर पक्का निर्माण कराने पर आमादा हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः उक्त आराजी का विभाजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31.12.2021 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 08.12.2022 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 25.07.2023 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप चौबीसा उपस्थित हुए, किन्तु वक्त बहस रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे, लेकिन बाद में उनकी ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो शामिल पत्रावली रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री जयप्रकाश पूर्बिया उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट ने धा[illegible] मियाद अ[illegible] का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अ[illegible] की जानकारी पूर्व में	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:12:39 IST
Reason: SelfAttested

नहीं थी। दिनांक 01.07.2023 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के मौके पर आने पर उक्त अंतिम डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त डिक्री की जानकारी शुरू से ही थी, फिर भी जानबूझकर विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गयी है तथा देरी का कोई उचित कारण उन्होंने नहीं बताया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण दृष्टिगण न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री अनुसार अंतिम डिक्री जारी नहीं की है तथा मौका रिपोर्ट से बाहर अंतिम डिक्री पारित की गयी है। फर्द बंटवारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है तथा कब्जे अनुसार विभाजन नहीं किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री अपास्त किया जावे तथा पुनः फर्द बंटवारा तैयार कर एवं उसे रेकार्ड पर लेकर पुनः अंतिम डिक्री पारित करने हेतु पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में अंकित किया कि अपीलान्ट के काउण्टर क्लेम का रेस्पोन्डेन्ट द्वारा जवाब भी प्रस्तुत किया गया है, जिसका कोई खण्डन अपीलान्ट द्वारा नहीं किया गया है। अपीलान्ट [illegible]ी व षड़यंत्र के तहत मुख्य सड़क पर हिस्सा [illegible] अधीनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:12:39 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की गयी है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज कीय जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो पर्चा मौका एवं फर्द बंटवारा उपलब्ध है उन पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं है, सिर्फ रेस्पोन्डेन्ट बंशीलाल के हस्ताक्षर हैं। अर्थात उक्त फर्द बंटवारा एवं पर्चा मौका अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार किये गये हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में अंतिम डिक्री जारी नहीं की जाना प्रकट नहीं होता है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 240/2016 निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 08.12.2022 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रारम्भिक डिक्री की पालना में पक्षकारान की उपस्थिति में मौका पर्चा एवं फर्द बंटवारा तैयार किया जाकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.12.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 14.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:12:39 IST
Reason: SelfAttested